

जीसियो नियम फार्मूला जेष्ठ नागरिक पेंशन

1. पी कार्ड धारक व्यक्ति के । 60 वर्ष उपरान्त । सेवा निवृत्ती पर । व्यक्ति को । सरकारी नौकरी । य प्राइवेट नौकरी । दुकान । य खेती जमीन से । सेवा निवृत्त कर दिया जायेगा ।
2. पी कार्ड धारक व्यक्ति के । 60 वर्ष उपरान्त सेवा निवृत्ती पर । व्यक्ति के । सरकारी नौकरी । य प्राइवेट नौकरी । दुकान । य खेती जमीन पर । भारत सरकार का अधिकार होगा ।
3. पी कार्ड धारक व्यक्ति के । 60 वर्ष उपरान्त । सेवा निवृत्ती पर । व्यक्ति को । भारत सरकार द्वारा । 5000 रु । प्रति माह । जेष्ठ नागरिक पेंशन मिलेगी ।
4. और यदि पत्नी भी । जेष्ठ नागरिक है । तो ही पत्नी को 5000 रु प्रतिमाह । पेंशन मिलेगी । । दोनो को 10000 रु पेंशन मिलेगी ।
5. यदि पत्नी कमाई करती है । किसी भी तरह के अन्य कार्ड द्वारा । तो उसे सेवा निवृत्त के बाद ही जेष्ठ नागरिक पेंशन मिलेगी ।

सेवा निवृत्ती पर

1. यदि व्यक्ति का व्यापार बेचा जाना संभव है तो
2. बी कार्ड धारक । सेवा निवृत्त के समय व्यक्ति । यदि कोई प्राइवेट नौकरी करता है । तो सेवा निवृत्ती के समय । प्राइवेट नौकरी पर भारत सरकार का अधिकार होगा ।
3. बी कार्ड धारक के । सेवा निवृत्त के समय व्यक्ति । यदि कोई दुकान करता है । य कोई भी ऐसा व्यापार करता है । जिसे बेचा जाना संभव है ।
4. तो बी कार्ड धारक । सेवा निवृत्त व्यक्ति के । दुकान य व्यापार को । भारत सरकार द्वारा । किसी जरूरत मंद । पी बी कार्ड धारक व्यक्ति को । दुकान य व्यापार बेच दिया जायेगा ।
5. बेच का धन । खरीदने वाले व्यक्ति के बी कार्ड से । सेवा निवृत्त बेचने वाले के । बी कार्ड मे जमा होगा ।
6. और फिर बी कार्ड धारक । सेवा निवृत्त व्यक्ति के । बी कार्ड से सारा धन । पी कार्ड मे स्थान्तरित होगा । और बी कार्ड हमेशा के लिए बन्द हो जायेगा ।

सेवा निवृत्ती पर

1. यदि व्यक्ति का व्यापार बेचा जाना संभव नहीं है तो ।
2. यदि बी कार्ड धारक । सेवा निवृत्त व्यक्ति । किसी भी अन्य कार्ड से । कोई ऐसा व्यापार करता है । जिसे बेचना संभव नहीं है ।
3. तो उस व्यापार पर । भारत सरकार का अधिकार होगा । भारत सरकार किसी योग्य व्यक्ति को । वह व्यापार । प्रति माह उचित भाडे पर । चलाने को दे सकती है ।

4. और व्यापार चलाने वाला व्यक्ति । भारत सरकार को व्यापार चलाने का । प्रति माह उचित भाडा देगा । जो भारत सरकार के एन कार्ड मे जमा होगा ।
5. और व्यापार चलाने व्यक्ति । सेवा निवृत्त व्यक्ति को । प्रति माह उचित रायल्टी देगा । जो सेवा निवृत्त व्यक्ति के पी कार्ड मे जमा होगी ।
6. फिर सेवा निवृत्त व्यक्ति के । किसी भी अन्य कार्ड से सारा धन । पी कार्ड मे स्थान्तरित होगा । और कोई भी अन्य कार्ड । हमेशा के लिए बन्द हो जायेगा ।

प्रथम बैंक का कर्जा चुकता

1. यदि बी कार्ड धारक सेवा निवृत्त व्यक्ति के । किसी भी कार्ड से । भारत मे । किसी भी बैंक का कर्जा बाकी है । तो पी कार्ड से । प्रथम बैंक का कर्जा । ब्याज के साथ । चुकता किया जायेगा ।
2. उसके बाद भी । यदि बैंक का कर्जा बाकी रहता है । तो रायल्टी धन से । प्रथम प्रति माह बैंक का कर्जा । ब्याज के साथ । चुकता किया जायेगा ।
3. उसके बाद भी । यदि बैंक का कर्जा । बाकी रहता है । तो पी कार्ड धारक । सेवा निवृत्त व्यक्ति का । व्यापार चलाने वाले व्यक्ति से । मिलने वाला । प्रति माह उचित भाडे से । प्रथम बैंक का कर्जा ब्याज के साथ । चुकता किया जायेगा ।
4. बैंक का कर्जा ब्याज के साथ । चुकता होने के बाद । व्यापार चलाने वाले व्यक्ति से मिलने वाला । प्रति माह उचित भाडे पर । भारत सरकार का अधिकार होगा । जो भारत सरकार के । एन कार्ड मे जमा होगी ।
5. उसके बाद बचे हुये धन को । पी कार्ड धारक सेवा निवृत्त व्यक्ति । उपयोग कर सकता है ।
6. लेकिन पी कार्ड धारक । सेवा निवृत्त व्यक्ति के । रू प्रतिमाह मिलने वाली पेंशन पर । 5000 सेवा निवृत्त व्यक्ति के । जीवित रहने तक । सेवा निवृत्त व्यक्ति का । अधिकार होगा ।
7. और सेवा निवृत्त व्यक्ति के । मृत्यू पश्चात् । भारत सरकार का अधिकार होगा ।
8. पी कार्ड धारक । सेवा निवृत्त व्यक्ति के मृत्यू पश्चात । रायल्टी बंद हो जायेगी । और रायल्टी धन बैंक को मिलना बंद हो जायेगा ।
9. और सेवा निवृत्त व्यक्ति का । पी कार्ड बन्द हो जायेगा ।
10. इस तरह व्यक्ति वर्ष के बाद का जीवन । आराम से सुख पूर्वक । ऐश करते हुए 60गुजारेगा ।

सेवा निवृत्त दम्पती के लिए नौकर

1. पी कार्ड धारक । सेवा निवृत्त व्यक्ति को । परिवार मे यदि । उचित सेवा सम्मान नही मिलता । तो पी कार्ड धारक । सेवा निवृत्त व्यक्ति । नौकर रख कर । अपनी जरूरते पूरी कर सकता है ।
2. पी कार्ड धारक । सेवा निवृत्त व्यक्ति के पी कार्ड से । नौकर के पी कार्ड मे । सेवा शुल्क जायेगा + जमा होगा ।

- जिससे नौकर । य कोई अन्य व्यक्ति । सेवा निवृत्त व्यक्ति के साथ । कोई गलत हरकत । नहीं कर सकता ।

सेवा निवृत्त दम्पती के लिए भारत भ्रमण विदेश भ्रमण

- पी कार्ड धारक । सेवा निवृत्त व्यक्ति चाहें तो । हज यात्रा । तीर्थ यात्रा । भारत भ्रमण । विदेश भ्रमण करके । अपनी सभी तमन्नाये पूरी कर सकते हैं ।

सेवा निवृत्त दम्पती का मेडिकल

- पी कार्ड धारक । सेवा निवृत्त दम्पती का मेडिकल । भारत सरकार की तरफ से फ्री होगा ।

सेवा निवृत्त व्यक्ति के मृत्यु पश्चात भारत सरकार के अधिकार ।

- पी कार्ड धारक । सेवा निवृत्त व्यक्ति के मृत्यु पश्चात । पी कार्ड मे अंकित । जेवर नग । और पी कार्ड मे जमा धन पर । भारत सरकार का अधिकार होगा । और पेंशन बंद हो जायेगी । और प्रति माह उचित रायल्टी । बंद हो जायेगी ।
- पी कार्ड धारक । सेवा निवृत्त व्यक्ति के मृत्यु पश्चात । पी कार्ड मे अंकित । सरकारी मदद भूमी । 1 किचेन । 1 बेड रूम । 1 हाल । 1 बाथरूम का । 400 स्क्वायर फिट के घर पर । पत्नी का अधिकार होगा ।
- यदि पत्नी । किसी भी कार्ड से । कोई काम नहीं करती । तो पत्नी को । 5000 रु पेंशन चालू रहेगी ।
- और पी कार्ड धारक । सेवा निवृत्त व्यक्ति के मृत्यु पश्चात । पी कार्ड मे अंकित । धन । और रायल्टी धन । और 5000 रु पेंशन । सब पर भारत सरकार का अधिकार होगा ।
- और सेवा निवृत्त व्यक्ति का पी कार्ड बन्द हो जायेगा ।
- इस तरह व्यक्ति वर्ष के बाद का जीवन 60 । समस्या रहित । भय रहित । आराम से । सुख पूर्वक । ऐश करते हुए । गुजारेगा ।

जय विश्व अग्रणी भारत की